

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4) वित्त/राजस्व/2021

जयपुर, दिनांक:-04.10.2021

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा की वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त श्री रामस्वरूप मीणा (अजजा) को दिनांक 01.10.2020 की रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि पर वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा की चयन सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री मीणा के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव